राजस्थान सरकार
सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांक प. 7(10)सै.क./2014 जयपुर, दिनांक : 05-10-2016

विज्ञापन

राजस्थान में जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति एवं पैनल बनाये जाने हेतु मेजर, ले0 कर्नल या कर्नल के पद से सेवानिवृत्त भारतीय सेना के स्थाई कमाण्ड अधिकारियों अथवा नेवी या भारतीय एयर फोर्स के उक्त पदों के समकक्ष पदों से सेवानिवृत्त ऐसे अधिकारियों से प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो कि राजस्थान के मूल निवासी हों तथा राजस्थान की रीति रिवाजों से परिचित हो और जिन्हें एक या इससे अधिक राजस्थान की बोलियों का ज्ञान हो।

सेवा की अन्य शर्ते निम्न प्रकार होगी :-

1. नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 01.10.2016 को 57 वर्ष है, परन्तु उसकी सावधि सेवा की अवधि उक्त पद पर 60 वर्ष की उम्र तक, के लिए ही होगी, उसके बाद अन्य सामान्य सेवा में नहीं रखा जावेगा।
2. चयनित होने के उपरांत नियुक्त व्यक्तियों का मासिक वेतन नियमानुसार निर्धारित किया जावेगा।
3. अधिकारी की सेवायें संतोषजनक नहीं होने पर सावधि सेवा अवधि किसी भी समय एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है।
4. चयनित व्यक्ति मकान किराया भत्ता और यात्रा भत्ता राज्य सरकार के नियमों के अनुसार लेने का पात्र होगा।
5. सामान्यतया इनका पदस्थापन गृह जिले में नहीं किया जायेगा।

इच्छुक प्रार्थी प्रार्थना पत्र मय प्रमाण पत्रों/दस्तावेजात की फोटो प्रति के साथ शासन सचिव, सैनिक कल्याण, विभाग कमरा नं. 2213 द्वितीय तल (मुख्य भवन) शासन सचिवालय, जयपुर राजस्थान को दिनांक 10.11.2016 को सांय 5.00 बजे तक व्यक्तिगत/पोस्ट द्वारा भिजवाये जा सकते हैं।

(मोहन लाल अग्रवाल)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

<u>जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र</u>

(1) प्रार्थी का नाम

(2) आई.सी.नं., रैंक एवं नाम

(3) पिता का नाम और स्थाई निवास स्थान

(4) जन्म तिथी

(5) शैक्षणिक योग्यता शैक्षणिक संस्थाओं जहां शिक्षा प्राप्त की, का विवरण।
हायर सैकण्डरी से (कक्षा वर्ष श्रेणी)

(6) कमीशन का प्रकार।

(7) कमीशन प्राप्ति का दिनांक

(8) सेना से सेवानिवृति या सेवा छोडने का दिनांक

(9) सेना से सेवा छोडने का कारण

(10) मेडिकल बोर्ड के अनुसार मेडिकल केटेगरी, यदि मेडिकल केटेगरी निम्नतम रही हो तो मेडिकल बोर्ड द्वारा आरोपित प्रतिबन्ध का विवरण

(11) सेवा का संक्षिप्त विवरण (महत्वपूर्ण नियुक्तियों का विवरण सम्मिलित करते हुए उल्लेख करें कि किस–किस तिथी को सैन्य कोर्स, किस किस ग्रेडिंग से किया गया)।

(12) डाक का वर्तमान पता, मोबाईल नम्बर एवं ई मेल आई.डी ।

(13) राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र संबंधित उपखण्ड दण्डनायक (एस.डी.एम.) द्वारा जारी किया हुआ प्रार्थना पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें।

नोट :– प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

हस्ताक्षर प्रार्थी